न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।

CNR No. UKCL020006572022

फौजदारी वाद संख्या 476/2022

उत्तराखण्ड राज्य बनाम बीरेन्द्र सिह।

दिनांक 21.10.2022

प्रार्थी/अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब की गयी। वाद पुकारा गया। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर सिह द्वारा कथन किया गया कि वह प्रस्तुत वाद में कारित अपराध स्वीकार करना चाहता है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रस्तुत मामले में जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को अभियोग का सारांश बताया गया। अतः अभियुक्त के द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त बीरेन्द्र सिह को मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के अन्तर्गत ₹ 10000.00(दस हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किया जाता है, जुर्माना अदा न करने की दशा में अभियुक्त 20 दिन का साधारण कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त द्वारा जुर्माने की धनराशि अदा की गयी।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गोपेश्वर।